माननीय न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप उज्जैन

निग – 2785-PBR-16

प्रकरण क्रं. /2016/निगरानी

1. जीवन पुरी पिता जगदीशपुरी
2. मलाबाई उर्फ कलाबाई पिता जगदीशपुरी
3. रामकुंवरबाई विधवा जगदीशपुरी

निवासीगण–30, नागाबाबा की तलाई, उज्जैन

.....आवेदकगण

प्रार्थी अभिभाषक श्री ..... द्वारा प्रस्तुत ..... दिनांक 5/8/16 अधीक्षक आयुक्त कार्यालय उज्जैन

विरूद्ध

1. पुनमपुरी पिता गोकूल पुरी
2. मोहनपुरी पिता गोकूल पुरी
3. शारदाबाई पिता गोकूल पुरी
4. गंगाबाई पति गोकूल पुरी

निवासीगण–30, नागाबाबा की तलाई, उज्जैन

.....अनावेदकगण

26 5/8/16

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

अधीनस्थ न्यायालय नायाब तहसीलदार महोदय के प्रकरण क्रं. 7/अ–27/14–15 जीवनपुरी आदि विरूद्ध पूनमपुरी आदि में पारित आदेश दिनांक 12/07/2016 से असंतुष्ट होकर अंदर समयावधि में यह निगरानी प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

प्रार्थी आवेदकगण की ओर से निम्नानुसार निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत है:–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

यह कि, प्रार्थी आवेदकगण व अनावेदकगण के नाम से एक संयुक्त खाता क्रं. 47 ग्राम सर्वे नं. 124 रकबा 1.220 ग्राम पिपलिया बिछा हल्का गुनई तहसील व जिला उज्जैन

निरंतर...2

में स्थित है। प्रार्थी आवेदकगण ने अधीनस्थ न्यायालय नायाब तहसीलदार महोदय तहसील व जिला उज्जैन में धारा-178 म.प्र.भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत उक्त भूमि के विभाजन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। प्रार्थी आवेदकगण के आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदकगण को तलब किया उनकी ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ पटवारी महोदय द्वारा बंटवारा फर्द व मौका पंचनामा प्रस्तुत किया गया। इसी दौरान अनावेदकगण द्वारा न्यायालय अष्टम व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग-2, उज्जैन के न्यायालय में संयुक्त खाता क्रं. 47 भूमि सर्वे नं. 124 रकबा 1.220 ग्राम पिपलिया बिछा हल्का गुनई तहसील व जिला उज्जैन व भूमि सर्वे नं. 89/234 रकबा 0.060 हे. व सर्वे नं. 127 रकबा 2.280 हे. कुल किता 2.00 कुल रकबा 2.341 हे.भूमि स्थित ग्राम पिपलिया बिछा तहसील व जिला उज्जैन जो कि उक्त भूमि श्री शंकरजी का चबूतरा मंदिर पुख्ता बांके, उज्जैन व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन की भूमि के संबंध में घोषणात्मक सहायता एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया तथा उक्त वाद के साथ उपरोक्त भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु आदेश 39 नियम 1 व 2 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो वाद व्यवहार वाद क्रं. 36-ए/16 पर दर्ज हुआ उक्त वाद में अनावेदकगणों को न्यायालय द्वारा कोई सहायता प्रदान नहीं करते हुए उनका अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र दिनांक 05/04/2016 को निरस्त कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय नायाब तहसीलदार महोदय तहसील व जिला उज्जैन द्वारा दिनांक 12/07/2016 को उक्त वाद को स्वत: घोषणा हेतु वाद मानकर उक्त बंटवारा प्रकरण को वाद के अंतिम निराकरण तक स्थगित कर दिया इससे असंतुष्ट होकर अंदर समयावधि में प्रार्थी आवेदकगण द्वारा यह निगरानी आवेदन पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

R 2785-अप्रा/16 उज्जैन
जावरी / नागदा

21.10.2016	आवेदक की ओर से श्री एन० डी० वैरागी अभिभाषक उपस्थित। शिकायत को सुना गया। तहसीलदार के आदेश का अवलोकन किया गया। नामांतरण तहसीलदार द्वारा 3 माह का स्थगन दिया गया था। स्थगन की अवधि समाप्त हो चुकी है। अतः आवेदक तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर अग्रिम कार्यवाही करें। इस प्रकरण में कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है।	21/10/16
	अधिशासी	